



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAILASH NATH S/O LATE LAXMI NARAIN

पता A.19/74 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07180114-- Property Id. 1A190362001

Latitude 25.32443060440

Longitude 83.02596268620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/74 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,118.0** व सामान्य कर **673.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|--|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 750.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 1500,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,200.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 7,776.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 7,776.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 855.00 | |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक | | | >>> |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT FEKAN W/O NOOR MOHAMAD

पता A.19/73-B Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07180111-- Property Id. 1A190366001

Latitude 25.32460563310

Longitude 83.02589976390

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/73-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,249.0** व सामान्य कर **467.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 575.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 1150,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 920.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 5,299.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 5,299.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 583.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT RUCHI GUPTA ALIES MUNNI W/O SHRI MAHESH PRASAD

पता A.19/73 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07180113-- Property Id. 1A190369001

Latitude 25.32465085140

Longitude 83.02601602070

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/73 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,518.0** व सामान्य कर **717.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 450.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,3_Resi | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4 | R= 1800,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,440.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 9,331.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 9,331.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,026.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUNNISA W/O ABDUL JABBAR

पता A.19/70-K-1 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07180104A Property Id. 1A190372001

Latitude 25.32484838590

Longitude 83.02598733280

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/70-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,762.0** व सामान्य कर **524.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 450.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,3_Resi | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4 | R= 1800,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,440.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 10,368.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 10,368.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,140.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI MUJAFFAR HUSSAIN, MUSTAFA HUSSAIN

पता A.19/68 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07180102-- Property Id. 1A190376001

Latitude 25.32505886120

Longitude 83.02609191980

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/68 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **8,752.0** व सामान्य कर **963.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,134.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 2668,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 2,134.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 12,294.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 12,294.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,352.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASINA BIBI W/O DILAVAR ALI

पता A.19/68-K Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07180101-- Property Id. 1A190377001

Latitude 25.32511906220

Longitude 83.02611474810

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/68-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **4,464.0** व सामान्य कर **491.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 600.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 1200,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 960.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 6,221.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 6,221.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 684.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Shri Molbi Mujafar

पता A.19/68-C Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07180100-- Property Id. 1A190378001

Latitude 25.32516969050

Longitude 83.02610589630

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/68-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,329.0** व सामान्य कर **916.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 990.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 1980,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,584.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 10,264.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 10,264.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,129.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.KADIR KHAN S/O LATE MD.KABIR KHAN,SADAMARUHI W/O LATE

पता A.19/75 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07180109-- Property Id. 1A190382001

Latitude 25.32468137610

Longitude 83.02587866760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/75 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,105.0** व सामान्य कर **122.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 555.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 1110,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 888.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 6,394.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 6,394.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 703.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JUBAIDA KHATUN ALIES TANNO

पता A.19/76 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07180106-- Property Id. 1A190383001

Latitude 25.32477163100

Longitude 83.02585699240

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/76 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,634.0** व सामान्य कर **840.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 962.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | B1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0 | R= 1924,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,539.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 11,082.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 11,082.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,219.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.EBRAHIM,NASIM,SALIM,SAMIM,AKHTARI BEGAM SS/O DD/O LATE

पता A.19/52 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190179-- Property Id. 1A190001001

Latitude 25.32373005530

Longitude 83.02623558730

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/52 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **10,886.0** व सामान्य कर **1,197.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|--|---|-----------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 900.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 900,C= 900 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 720.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 48,211.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 48,211.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 5,303.00 | |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक | | ->>> | |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT AMANA BIBI,SUFIYA BIBI,EKARAMUDDIN,HAFIJUDDIN D/O &

पता A.19/36 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190176-- Property Id. 1A190005001

Latitude 25.32378138830

Longitude 83.02583673440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/36 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,184.0** व सामान्य कर **680.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 570.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1710,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,368.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 7,880.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 7,880.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 867.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BAQUAR ZAHEER S/O LATE SHAH ZAHIRUL HASAN

पता A.19/24-A Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190158-- Property Id. 1A190011001

Latitude 25.32381090360

Longitude 83.02565821380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/24-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,536.0** व सामान्य कर **499.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 600.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 520,C= 80 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 416.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 6,313.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 6,313.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 694.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NISAR AHAMAD S/O NAIMUDDIN

पता A.19/22 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190155A Property Id. 1A190015001

Latitude 25.32382720080

Longitude 83.02546896010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/22 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,443.0** व सामान्य कर **599.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 650.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1188,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 950.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 5,474.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 5,474.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 602.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

→>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GAFUR

पता A.19/22-A Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190156-- Property Id. 1A190017001

Latitude 25.32382769980

Longitude 83.02552228180

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/22-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **3,583.0** व सामान्य कर **394.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 360.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 360,C= 360 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 288.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 19,285.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 19,285.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 2,121.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD AHAMD S/O LATE GULAM MOHD

पता A.19/51 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190311-- Property Id. 1A190024001

Latitude 25.32382749250

Longitude 83.02636536240

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/51 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,346.0** व सामान्य कर **918.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 480.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 800,C= 160 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 640.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 11,520.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 11,520.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,267.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMANTULLA S/O RAHMATULLA

पता A.19/56-K Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190181B Property Id. 1A190026001

Latitude 25.32387599430

Longitude 83.02626927250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/56-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,931.0** व सामान्य कर **432.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 490.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,2_Residential,GF_Co | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1190,C= 280 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 952.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 19,193.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 19,193.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 2,111.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.SARDAR S/O SHRI YAAD ALI,ABDUL MATIN,ABDUL HASIN S/

पता A.19/38-A Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190173-- Property Id. 1A190029001

Latitude 25.32391666610

Longitude 83.02590004490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/38-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,984.0** व सामान्य कर **878.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 572.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,2_Residential,GF_Co | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1144,C= 572 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 915.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 33,277.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 33,277.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 3,660.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI DUKKHI, CHHMAN SS/O MANTU

पता A.19/58 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190186-- Property Id. 1A190031001

Latitude 25.32393509390

Longitude 83.02615321880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/58 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,285.0** व सामान्य कर **141.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 396.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1188,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 950.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 5,474.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 5,474.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 602.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT SAMA PARVEEN W/O AKHTAR ALI

पता A.19/33 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190160-- Property Id. 1A190032001

Latitude 25.32390617990

Longitude 83.02573109730

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/33 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,886.0** व सामान्य कर **1,197.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,300.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 3900,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 3,120.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 17,971.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 17,971.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,977.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT SARAVARI BIBI W/O KAJIM HUSSAIN

पता A.19/46 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190171-- Property Id. 1A190040001

Latitude 25.32395790960

Longitude 83.02602912370

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/46 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,151.0** व सामान्य कर **1,227.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 3,600.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 3600,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 2,880.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 16,589.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 16,589.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,825.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRI DHOBI LATE DOMAN,DUKKHI

पता A.19/57 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190188-- Property Id. 1A190045001

Latitude 25.32396606390

Longitude 83.02628246130

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/57 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **1,686.0** व सामान्य कर **185.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|--|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 511.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 480,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 384.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 2,212.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 2,212.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 243.00 | |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक | | ->>> | |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय

सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI EHASANUL HAQ S/O LATE MD.RAFIQ,SAEDA BIBI D/O MD.RAFIQ

पता A.19/50-A Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190310-- Property Id. 1A190047001

Latitude 25.32396914090

Longitude 83.02639418800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/50-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,361.0** व सामान्य कर **150.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 440.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 440,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 352.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 2,028.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 2,028.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 223.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.HANIF S/O JAHOR

पता A.19/50-H Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190301-- Property Id. 1A190050001

Latitude 25.32398844140

Longitude 83.02679481850

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/50-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,276.0** व सामान्य कर **250.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 500.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 860,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 688.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 3,963.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 3,963.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 436.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI MUKHTAR AHAMAD, MUSHTAK AHAMAD, ANAWAR

पता A.19/47 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190178-- Property Id. 1A190059001

Latitude 25.32404070320

Longitude 83.02552766460

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/47 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,977.0** व सामान्य कर **1,647.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,800.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 3600,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 2,880.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 16,589.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 16,589.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,825.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KALAM,AARIF JAMAL,JAFAR JALAL,AFJAL

पता A.19/58-A Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190190-- Property Id. 1A190077002

Latitude 25.32406651810

Longitude 83.02616263350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/58-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,838.0** व सामान्य कर **532.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|--------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,355.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Commercial Shop,2_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4 | R= 872,C= 1728 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 698.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 88,621.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 88,621.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 13,293.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LOTAM,KOMAL ALIES POMAL SS/O SALIKI ALIES SULAKHI

पता A.19/54 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190302-- Property Id. 1A190090001

Latitude 25.32410167170

Longitude 83.02626335230

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/54 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,300.0** व सामान्य कर **143.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|--|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 375.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1125,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 900.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 5,184.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 5,184.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 570.00 | |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक | | —————>>> | |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT HABIBAN W/O MD.SAFI & MUS.HAMIDAN W/O MD.SULTAN

पता A.19/50-E-3 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9335528130

MIS Id. 07190320-- Property Id. 1A190094001

Latitude 25.32414345750

Longitude 83.02643435890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/50-E-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,406.0** व सामान्य कर **155.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 308.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 924,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 739.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 4,258.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 4,258.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 468.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Abdual Rasid

पता A.19/50-3 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190298-- Property Id. 1A190099001

Latitude 25.32414091160

Longitude 83.02631906930

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/50-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **5,405.0** व सामान्य कर **595.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 600.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1800,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,440.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 8,294.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 8,294.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 912.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AFSARI BEGAM W/O HASMAT KHAN

पता A.19/17-C-2 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190031-- Property Id. 1A190104001

Latitude 25.32418690860

Longitude 83.02502692810

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/17-C-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,815.0** व सामान्य कर **310.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 720.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 720,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 576.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 3,732.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 3,732.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 411.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI SADIK HUSSAIN, YAVAR HUSSIAN SS/O ABDUL

पता A.19/50-I Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7238843847

MIS Id. 07190292-- Property Id. 1A190107001

Latitude 25.32415906160

Longitude 83.02672381790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/50-I के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,158.0** व सामान्य कर **457.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 632.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 150,C= 180 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 120.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 9,504.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 9,504.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,045.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAYED ALI HAIDER S/O SAYED ALI HAFIJ

पता A.19/29 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9305576631

MIS Id. 07190149-- Property Id. 1A190109001

Latitude 25.32421996990

Longitude 83.02555107380

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/29 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,750.0** व सामान्य कर **413.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 2,310.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 2310,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,848.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 10,644.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 10,644.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,171.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI GULAM SABIR S/O HAZI MOHD YUSUF

पता A.14/15-A Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 6388001213

MIS Id. 07190297-- Property Id. 1A190119001

Latitude 25.32422097190

Longitude 83.02631842190

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.14/15-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **5,458.0** व सामान्य कर **600.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 420.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 420,C= 420 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 336.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 22,498.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 22,498.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 2,475.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI SAIYAD MAJID HUSSAIN S/O LATE SAIYAD MUJAFFAR HUSSAIN

पता A.19/30 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190165-- Property Id. 1A190125001

Latitude 25.32422381150

Longitude 83.02581678310

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/30 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **7,862.0** व सामान्य कर **865.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,600.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd) | GF_Commercial Shop | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 0,C= 1600 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 0.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 78,336.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 78,336.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 11,750.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI TAUKIR AHAMAD S/O LATE SAYED JHON

पता A.19/41+42 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190167-- Property Id. 1A190128001

Latitude 25.32426144120

Longitude 83.02598821820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/41+42 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,931.0** व सामान्य कर **432.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 460.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 920,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 736.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 4,239.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 4,239.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 466.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT KHUDAIJA BII W/O GULAB SABIR

पता A.19/59-B Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190311A Property Id. 1A190130002

Latitude 25.32422734240

Longitude 83.02610471440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/59-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,360.0** व सामान्य कर **150.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 440.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 880,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 704.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 5,069.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 5,069.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 558.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Taukir Ahamad

पता A.19/41-42 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190168-- Property Id. 1A190130003

Latitude 25.32422734240

Longitude 83.02610471440

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/41-42 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 300.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,GF_&t; 120Sq.Ft | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 550,C= 50 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 440.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 3,268.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 3,268.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 359.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAULANA SHAMIMUL HASAN BATUR MUTWALLI

पता A.19/60+62 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190193-- Property Id. 1A190139001

Latitude 25.32425092720

Longitude 83.02621060800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/60+62 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **15,483.0** व सामान्य कर **1,703.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 2,200.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 4400,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 3,520.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 20,275.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 20,275.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 2,230.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय

सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI MD.AMIN S/O SHAMSHUL HAQ

पता A.14/15-A-K Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190281-- Property Id. 1A190143001

Latitude 25.32427613140

Longitude 83.02632778170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.14/15-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,004.0** व सामान्य कर **990.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|--|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 500.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,2_Residential,GF_Co | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1000,C= 500 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 800.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 29,088.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 29,088.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 3,200.00 | |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक | | | >>> |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT TAHIRUNNISHA W/O HAJI GULAM GAUSH

पता A.19/17-B Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9839875623

MIS Id. 07190032-- Property Id. 1A190146001

Latitude 25.32431217500

Longitude 83.02499277720

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/17-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,175.0** व सामान्य कर **349.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,200.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 1800,C= 600 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,440.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 37,670.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 37,670.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 4,144.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAJKUMARI DEVI W/O CHHEDI SINGH

पता A.19/63 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190197-- Property Id. 1A190171001

Latitude 25.32443386120

Longitude 83.02609449910

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/63 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,743.0** व सामान्य कर **742.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 500.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1500,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,200.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 6,912.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 6,912.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 760.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD SUHAIL KHAN S/O LATE MOHAMMAD KHALIL

पता A.19/16-P Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7275812938

MIS Id. 07190120-- Property Id. 1A190174001

Latitude 25.32446433000

Longitude 83.02516774100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/16-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,982.0** व सामान्य कर **548.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 400.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1200,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 960.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 5,530.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 5,530.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 608.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय

सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT DULARI DEVI W/O LATE JAGADISH PRASAD,RAMESH GUPTA S/O

पता A.19/9 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9565100425

MIS Id. 07190142-- Property Id. 1A190178001

Latitude 25.32447241680

Longitude 83.02581290740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,629.0** व सामान्य कर **399.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 480.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,GF_&t; 120Sq.Ft | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 864,C= 96 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 691.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 5,391.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 5,391.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 593.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI MUJIB ULLA S/O MD.KALIMULLAH

पता A.19/14-C Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190136-- Property Id. 1A190196002

Latitude 25.32447156300

Longitude 83.02564149030

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/14-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,966.0** व सामान्य कर **216.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 2,097.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 432,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 346.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 1,991.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 1,991.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 219.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI SAYAD ANAWARUL HASAN S/O SAYAD LATIF HUSSAIN

पता A.19/7-B-1 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 7860917404

MIS Id. 07190113-- Property Id. 1A190212001

Latitude 25.32458912970

Longitude 83.02560862620

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/7-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **3,734.0** व सामान्य कर **411.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 480.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1440,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,152.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 6,636.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 6,636.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 730.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Nur Mohamad

पता A.19/4 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9044717328

MIS Id. 07190109-- Property Id. 1A190241001

Latitude 25.32465517080

Longitude 83.02557358040

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 630.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 630,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 504.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 2,903.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 2,903.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 319.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI ANAWARUL HASAN ALIAS BACHAU S/O SEKH HAKIMUDDIN

पता A.19/1-A-3-A Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8318377879

MIS Id. 07190069-- Property Id. 1A190245001

Latitude 25.32472921050

Longitude 83.02510638830

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/1-A-3-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **7,408.0** व सामान्य कर **815.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 600.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1800,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,440.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 10,368.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 10,368.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,140.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAUKAT ALI ALIAS KAMMU S/O LATE MOHD.RASOOL

पता A.19/1-A-3-A-1 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190069A Property Id. 1A190261001

Latitude 25.32471901270

Longitude 83.02521072580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/1-A-3-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,173.0** व सामान्य कर **459.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 540.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1620,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,296.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 7,465.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 7,465.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 821.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Moh. Nisar S/o Moh. Ekram

पता A.19/1-3-A-J-K Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190070-- Property Id. 1A190261002

Latitude 25.32471901270

Longitude 83.02521072580

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/1-3-A-J-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,496.0** व सामान्य कर **605.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 524.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,2_Residential,GF_&l | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 930,C= 90 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 744.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 5,607.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 5,607.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 617.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI SAFIULLA S/O DR.BABU KHAN

पता A.19/4-B Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190103-- Property Id. 1A190266001

Latitude 25.32478524380

Longitude 83.02548962870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/4-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,280.0** व सामान्य कर **801.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 625.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 1050,C= 200 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 840.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 14,630.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 14,630.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,609.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.AYAJ AHAMAD S/O LATE AJIJURAHAMAN

पता A.19/4-B-2 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9305004432

MIS Id. 07190108-- Property Id. 1A190270001

Latitude 25.32479017270

Longitude 83.02557142170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/4-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,211.0** व सामान्य कर **463.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 512.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1536,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,229.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 7,078.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 7,078.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 779.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.CHAND BIBI W/O LATE VAKIL AHMAD, SAID KHAN, SHAKIL

पता A.19/1-E-2 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9026409875

MIS Id. 07190074-- Property Id. 1A190282001

Latitude 25.32487324160

Longitude 83.02502173170

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/1-E-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,867.0** व सामान्य कर **205.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 420.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 420, C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 336.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 1,935.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 1,935.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 213.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय

सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IMRAN KHAN,LUKMAN,AKHTAR JAHAN,RUJMA PARVIN,SIMA

पता A.19/1-F-1 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190078-- Property Id. 1A190313001

Latitude 25.32506406850

Longitude 83.02496180710

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/1-F-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,916.0** व सामान्य कर **431.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|--|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 360.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1080,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 864.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 4,977.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 4,977.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 547.00 | |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक | | | >>> |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSM.AJIJUNNISA W/O ABDUL GANI

पता A.19/1-A-1-A-X Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07190080-- Property Id. 1A190318004

Latitude 25.32502197120

Longitude 83.02511234690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/1-A-1-A-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,520.0** व सामान्य कर **1,377.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 2,385.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 2082,C= 582 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,666.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 38,089.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 38,089.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 4,190.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI ABDUL JABBAR S/O HAJI BARKATULLAH MARHUM

पता A.17/1-X-A-B Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07170432-- Property Id. 1A190342002

Latitude 25.32533375950

Longitude 83.02487793100

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.17/1-X-A-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **6,175.0** व सामान्य कर **679.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,008.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 1352,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,082.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 6,230.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 6,230.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 685.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Imtiyaj Ahamad S/o Moh. Ikram

पता A.17/1-X-1-K Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07170434-- Property Id. 1A190342003

Latitude 25.32533375950

Longitude 83.02487793100

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.17/1-X-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,659.0** व सामान्य कर **182.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 1,008.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 384,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 307.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 1,769.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 1,769.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 195.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIM AHAMD MERAJ KHALID NASIM AHMAMD & ANWAR JAMAL

पता A.19/1-A-2-F- Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07170429-- Property Id. 1A190349001

Latitude 25.32509662030

Longitude 83.02478172190

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/1-A-2-F- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **29,952.0** व सामान्य कर **3,295.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 18,503.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 6424,C= 200 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 5,139.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 30,523.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 30,523.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 3,358.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Moh. Neyaj Ahamad S/o Moh. Ikram

पता A.17/1-X-1-K Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07170433-- Property Id. 1A190349002

Latitude 25.32509662030

Longitude 83.02478172190

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.17/1-X-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **1,659.0** व सामान्य कर **182.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 18,500.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 396,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 317.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 1,825.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 1,825.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 201.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.NOORJAHAN W/O SHRI NAVI MOHAMMAD

पता A.17/1-X-5 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07170430-- Property Id. 1A190349003

Latitude 25.32509662030

Longitude 83.02478172190

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.17/1-X-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **7,131.0** व सामान्य कर **784.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 18,500.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | 1_Residential,2_Residential,GF_Re | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3 | R= 1584,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 1,267.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 7,299.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 7,299.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 803.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक _____>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NEMAT ALI ALIAS NAMMU S/O LATE MOHD.RASUL

पता A.19/1-A-3-A-1-N Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 9918903205

MIS Id. 07190069C Property Id. 1A190352001

Latitude 25.32476399690

Longitude 83.02520209050

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/1-A-3-A-1-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,173.0** व सामान्य कर **459.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-----------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 400.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix) | 1_Residential,GF_Commercial | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2 | R= 600,C= 200 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 480.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 12,557.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 12,557.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 1,381.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAFAR ALI S/O FIDA HUSSAIN MARHUM

पता A.19/30-A-H Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 8840002101

MIS Id. 07190165B Property Id. 1A190356001

Latitude 25.32409437950

Longitude 83.02577796410

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/30-A-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,570.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 540.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 540,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 432.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 3,110.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 3,110.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 342.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DULARE MIRJA,AFJAL HUSAIN ALIAS PYARE,NAJMIN BEGAM ALIAS

पता A.19/27 Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं० 6388517265

MIS Id. 07190287-- Property Id. 1A190357002

Latitude 25.32408428480

Longitude 83.02569312690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/27 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,875.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 750.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 750,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 600.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 3,456.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 3,456.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 380.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KALAM & ARIF JAMAL & JAFAR JAMAL AFJAL JAMAL &

पता A.19/77-3-A Lalkhan Chohatta

नया वार्ड W080 Omkaleshvar

पुराना वार्ड W082

मोबाईल नं०

MIS Id. 07180105A Property Id. 1A190167003

Latitude 25.32436892720

Longitude 83.02577426590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.19/77-3-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,591.0** व सामान्य कर **175.0** से भिन्न है।

| क्र० | भवन का विवरण | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|------|---|-------------------------|--|
| 1 | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) | 340.00 | |
| 2 | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd) | GF_Residential | |
| 3 | भवन का प्रकार | RCC - Pakka | |
| 4 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1 | R= 340,C= 0 | |
| 5 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में) | | |
| 6 | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80% | 272.00 | |
| 7 | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | 0 Mtr To 12 Mtr | |
| 8 | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में) | 0.80 | |
| 9 | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में) | | |
| 10 | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में) | 1,958.00 | |
| 11 | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली | | |
| 12 | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन; | 1,958.00 | |
| 13 | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का) | 215.00 | |

भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक

>>>

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय